

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 2586

दिनांक: 15/11/17

संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4461 दिनांक 11.10.17 की क्रम संख्या 07 पर अंकित नगरपालिका, तखतगढ, जिला पाली में मनोनीत सहवृत्त सदस्य "रमेश राठौड, अनुसूचित जाति" के स्थान पर "रमेश राठौड, अन्य पिछडा वर्ग" पढा जाव ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 15/11/17

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 2587-98

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
05. जिला कलक्टर, पाली।
06. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 8 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करे।
07. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
09. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तखतगढ जिला पाली।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
11. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी